

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

फा सं -सीआर /सीएलटी प्रशिक्षण /13/2015

दिनांक : 04.08.15

विषय: जो समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआर) या भर्ती एव नियोजन सेवा (आरपीएस) अनुमोदित नहीं है उनके --- समुद्र कर्मियों की शिकायते ।

सूचना

हाल ही मे, समुद्र कर्मियों से नौवहन महानिदेशालय को एव समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानो (एमटी आय) या भर्ती एव नियोजन सेवा (आरपीएस) [जनसयोजन अभीकरता] के सबधमे तमाम शिकायते मिली है जो की नौमनी द्वारा अनुमोदित नहीं है ऐसे अनुमोदित रहित । मान्यता रहित संस्थान है ओर जिनकी पहचान या कोई अता पता नहीं है, ओर जो नौमनि की नियंत्रण सीमा से परे है समुद्रकर्मियों को अब सावधान किया जाता है की वे ऐसे समुद्र पूर्व अनुमोदित रहित एमटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण पाये ओर बिना लाइसेंस वाले आरपीएस के माध्यम से पोतो पर नियोजित होने से बचे। सभी सबधितो को एत द्वारा सलाह दी जाती है की वे समुद्रीय प्रशिक्षण करने से पहले या पोत पर नियोजित होने से पहले नौमनि भारत सरकार की वेब साइट www.dgshipping.gov.in पर संबधित एमटी आई या आरपीएस को दीए गए अनुमोदन की अद्धतकी कृत स्थिति देख ले । इस तरह के अनुमोदन हिन एमटीआई द्वारा जारी किए प्रमाण पत्रो को ओर मान्यता हिन आर पी एस के माध्यम से प्राप्त समुद्री सेवा को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 ओर उसके अंतर्गत बनाए गए नियमो के प्रावधानों के अंतरगत अपेक्षित मान्यता नहीं होगी।

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI.

F.No. CR/CLT/Training Institute/13/2015

Dated: 04.08.15

Sub:- Grievances of seafarers against unapproved Maritime Training Institutes (MTI) or
Recruitments & Placement Services (RPS)-reg.

NOTICE

Recently, numbers of grievances from the seafarers have been reported to the Directorate General of Shipping, concerning Maritime Training Institutes (MTI) or Recruitment & Placement Services (RPS) [Manning Agents], which are not approved /not recognized by the DGS. Such unapproved/unrecognized entities with unknown credentials remain outside the ambit of control of DGS. The seafarers are, hence, cautioned against undergoing pre-sea training through such unapproved MTIs or getting placement on board ships through such unlicensed RPS. All concerned are hereby advised that they should, prior to undergoing Maritime Training or placement on board a ship, refer to the official website of DGS, GoI i.e. www.dgshipping.gov.in for an updated status on approval granted to the MTI or RPS, concerned. The certificates issued by such unapproved MTI's and the sea service obtained through the unrecognized RPS will not have the due recognition under the provision of the Merchant Shipping Act,1958 and the rules framed there under.